क्रम–संख्या–17 (ग)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०

डब्लू/एन०पी०–91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 6 फरवरी, 2023

माघ 17, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

खाद्य एवं रसद अनुभाग–4

संख्या 1917/29-4–2022–ई-427-2022

लखनऊ, 6 फरवरी, 2023

अधिसूचना

प0आ0–31

चूँकि सेवाएं या प्रसुविधायें या सहायिकी प्रदान करने के पहचान दस्तावेज के रूप में आधार के उपयोग से सरकारी परिदान प्रक्रियाएं सुगम हो जाती हैं, पारदर्शिता एवं दक्षता आ जाती है और लाभार्थी अपनी पहचान साबित करने के लिये बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता से मुक्त होते हुए सुविधाजनक और निर्बाध रीति से सीधे अपना हक प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं;

और, चूँकि, भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य का लाभ सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है ताकि कृषकों को करस्थम विक्रय से बचाया जा सके। इसके लिए आवश्यक है कि कृषक की सही पहचान की जाय तथा कृषक द्वारा विक्रीत फसल की मूल्य का भुगतान पारदर्शी तथा प्रमाणिक आधार पर कृषक के बैंक खाते में किया जा सके तथा इस हेतु कृषक का बायोमैट्रिक अधिप्रमाणन तथा 'आधार' के आधार पर भुगतान प्रणाली सुनिश्चित की जाये। भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अधीन राज्य सरकार प्रत्येक रबी तथा खरीफ सीजन में कृषकों से खाद्यान्न क्रय करने हेतु क्रय नीति जारी करती है;

और, चूँकि, भू-राजस्व विभाग के पोर्टल से लिंककृत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर कृषक अपना स्वत: रजिस्ट्रीकरण करता है। कृषक का नाम, उसके रकबे तथा कृषक द्वारा विक्रीत फसल की मात्रा का सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है। क्रय केन्द्र पर कृषक के बायोमैट्रिक रजिस्ट्रेशन के आधार पर फसल क्रय की जाती है तथा उसके द्वारा विक्रीत फसल के मूल्य का भुगतान आधारबेस्ड प्रणाली के आधार पर कृषक के बैंक खाते में किया जाता है;

और, चूँकि, भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अधीन राज्य सरकार विभिन्न क्रय अभिकरणों के माध्यम से सीधे कृषकों से खरीफ एवं रबी फसलों का क्रय करती है तथा केन्द्र सरकार की योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण कर रही है;

और, चूंकि, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश (जिसे आगे "विभाग" कहा गया है) विभिन्न सहायिकियों एवं प्रसुविधाओं के रूप में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना को प्रशासित कर रहा है;

और चूँकि, पूर्वोक्त न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना कृषकों की प्रसुविधा हेतु क्रियान्वित की गयी है तथा उन्हें प्रसुविधाओं (जिन्हें आगे "प्रसुविधा" कहा गया है) के रूप में सहायता प्रदान की जाती है;

अतएव, अब, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2016) (जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार एतद्द्वारा निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1-(1) उक्त योजना के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिये पात्र कृषक से एतद्द्वारा आधार संख्या धारित करने का प्रमाण प्रस्तुत करने या आधार अधिप्रमाणन कराये जाने की अपेक्षा की जायेगी।

(2) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियमन, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग से अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से ऐसे कृषक, जो अभी तक आधार के लिये नामांकित न हों, के लिये आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान किये जाने की अपेक्षा की जायेगी और यदि सम्बन्धित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित न हो तो विभाग को अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके या स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का रजिस्ट्रार होकर सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधायें प्रदान करना होगा।

2-उक्त योजनाओं के अधीन कृषकों को सुविधाजनक रूप से प्रसुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से विभाग को अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिये समस्त अपेक्षित व्यवस्थाएं करनी होगी कि मीडिया के माध्यम से कृषकों के लिये व्यापक प्रचार-प्रसार, उन्हें उक्त आवश्यकताओं से अवगत कराने के लिए किया जायेगा।

3-समस्त मामलों में, जहाँ कृषकों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से आधार अधिप्रमाणन विफल हो जाता है वहाँ निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाये जायेंगे, अर्थात्:-

(क) खराब फिंगर प्रिंट गुणवत्ता के मामले में, अधिप्रमाणन के लिए आईरिस स्कैन या फेस अधिप्रमाणन सुविधा अपनायी जाएगी, जिससे विभाग अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से सहज रीति से प्रसुविधाएं प्रदान करने के लिये फिंगरप्रिंट अधिप्रमाणन के साथ ही साथ आईरिस स्कैनर या फेस अधिप्रमाणन के लिए उपबंध करेगा;

(ख) कृषक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल में रजिस्ट्रीकरण के समय अपना विवरण तथा आधार फीड करके अपने घनिष्ट पारिवारिक सदस्यों अर्थात माता/पिता, पति/पत्नी, पुत्र/पुत्री, दामाद/पुत्रवधू, सगा भाई/सगी बहन आदि प्रतिनिधि को नामनिर्दिष्ट कर सकता है। कृषक, उक्तानुसार नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि के माध्यम से अपने उत्पाद का विक्रय कर सकता है और ऐसी दशाओं में कृषक द्वारा नामनिर्दिष्ट संबंधित प्रतिनिधि के आधार अधिप्रमाणन के द्वारा क्रय केन्द्र पर क्रय किया जायेगा।

4-उपरोक्त के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि उक्त योजना के अधीन कोई वास्तविक लाभार्थी अपनी देय प्रसुविधाओं से वंचित न हो, विभाग को अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों का अनुसरण करना होगा।

5-यह अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रभावी होगी।

आज्ञा से,
दिब्य प्रकाश गिरि,
विशेष सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1917/XXIX-4–2022-E-427-2022, dated February 6, 2023 :

No. 1917/XXIX-4–2022-E-427-2022

Dated Lucknow, February 6, 2023

WHEREAS the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery process, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

AND, WHEREAS, to ensure that farmers get the benefit of a fair price for their produce, Minimum support price is announced every year by the Government of India so that farmers can be saved from distress sale. For this, it is necessary that the correct identification of the farmer is done and the due payment of the price of the crop sold by the farmer is made to the farmer's bank account, on a transparent and authentic basis and for this, biometric authentication of the farmer and the system of payment on the basis of Aadhaar should be ensured. Under the Minimum Support Price Scheme announced by the Government of India, the State Government issues a purchase policy for the purchase of food grains from the farmers in every Rabi and Kharif season;

AND, WHEREAS, the farmer does his self registration on the portal of the Food and Civil Supply Department which is thereby linked to the portal of the Land Revenue Department. The name of the farmer, his area and the quantity of the crop sold by the farmer are thereby verified by the Revenue Department. The crop is purchased at the purchase center on the basis of biometric authentication of the farmer and the price of the crop sold by him is transferred to the bank account of the farmer on the basis of Aadhaar based system;

AND, WHEREAS, under the Minimum Support Price Scheme announced by the Government of India, the State Government procures Kharif and Rabi crops directly from the farmers through various purchasing agencies and is implementing and monitoring the Central Government's scheme;

AND, WHEREAS, the Food and Civil Supplies Department, Uttar Pradesh (hereinafter referred to as the "Department") is administering the Minimum Support Price Scheme in the form of various subsidies and benefits;

AND, WHEREAS, the aforesaid Minimum Support Price Scheme has been implemented for the benefit of the farmers, and they are provided assistance in the form of benefits (hereinafter referred to as "Benefits");

NOW, THEREFORE, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (Act no 18 of 2016) (hereinafter referred to as the "said Act"), the Government of Uttar Pradesh hereby notifies the following, namely:-

1. (1) for receiving the benefits under the Scheme shall hereby a farmers eligible be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication .

(2) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the farmers who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves;

2. In order to provide benefits to the farmers under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the farmers to make them aware of the said requirement.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the farmers or due to any other reason, the following remedial mechanism shall be adopted, namely :-

(a) in case of poor fingerprint quality, IRIS scan or face authentication facility shall be adopted for authentication. Thereby, the Department through its Implementing Agency shall make provisions for IRIS scanners or face authentication alongwith fingerprint authentication for the delivery of benefits in seamless manner.

(b) Farmer may nominate his/her representative from close family members *i.e.* mother/father, husband/wife, son/daughter, son-in-law/daughter-in-law, real brother/ real sister *etc*. by feeding their details and Aadhaar at the time of registration in E-procurement portal of Food and civil supplies department. Farmer may sell his produce through the designated representative as elaborated above and in such cases the purchase will be done at the purchase center on the basis of Aadhaar authentication of the concerned representative nominated by the farmer.

4. In addition to the above, for the purpose of ensuring that no genuine beneficiary is deprived of his/her due benefits under the said scheme, the department will follow the instructions issued from time to time by the Government of India through its implementing agency.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official *Gazette*.

By order,
DIBYA PRAKASH GIRI,
Vishesh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1194 राजपत्र–2023–(1943)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 2 सा0 खाद्य एवं रसद–2023–(1944)–500 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।